

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर देसूरी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- पर्वत सिंह चूण्डावत उपखण्ड अधिकारी देसूरी

उनवान

शिवलाल पुत्र नवाराम कौम लवांर निवासी बडौद

बनाम

गंगाराम पुत्र नवाराम कौम लवांर निवासी बडौद

दावा बाबत - बंटवारा राज0काशत0 अधि0 1955 धारा 53

मुकदमा नम्बर :-

निर्णय दिनांक :- 02/06/2016

वादी शिवलाल पुत्र नवाराम कौम लवांर निवासी बडौद

व प्रतिवादी गंगाराम पुत्र नवाराम कौम लवांर निवासी बडौद की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 02/06/2016 को. पर्वत सिंह चूण्डावत (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी, देसूरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है कि

गंगाराम पुत्र नवाराम कौम लवांर सा. देह खातेदार के नाम ग्राम बडौद पटवार वृत्त बडौद तहसील देसूरी के ख.न. 109 रकबा 0.02 है. किस्म गे.रा. लगान 0 एवं ख.न. 110 रकबा 2.50 है. किस्म बा.दो. लगान 12.50 एवं शिवलाल पुत्र नवाराम कौम लवार सा.देह खातेदार नाम ग्राम बडौद पटवार वृत्त बडौद तहसील देसूरी के ख.न. 110/1 रकबा 2.49 है. किस्म बा.दो. लगान 12.45 एवं गंगाराम शिवलाल पुत्र नवाराम कौम लवार सा.देह खातेदार नाम ग्राम बडौद पटवार वृत्त बडौद तहसील देसूरी के ख.न. 110/2 रकबा 0.03 है. किस्म बा.दो. लगान 0.15 दर्ज करने के आदेश जारी किये जाते हैं एवं नक्शा तैयार किया गया जो संलग्न है उस अनुसार नक्शे मे तरमीम हो तदनुसार डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 02/06/2016 को मेरे हस्ताक्षर से एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की जाती है।

(पर्वत सिंह चूण्डावत)
पीठासीन अधिकारी.....
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड सहायक कलेक्टर, देसूरी
दिनांक -02/06/2016

क्रमांक/शिविर/2016/

प्रतिलिपि :-

1.तहसीलदार देसूरी को भेजकर लेख है कि माफिक डिक्री एवं नक्सानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

पीठासीन अधिकारी
(पर्वत सिंह चूण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड सहायक कलेक्टर, देसूरी

है। उक्त बंटवाडे के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है तथा न ही किसी न्यायालय में कोई वाद विचारणाशील है। तदनुसार हा संलग्न नक्शा अनुसार गोक पर कायज